

म  
गरी

काली देवी बनाम रघुनाथ मों

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज

प्र.सं-

1267/2025

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

25/02/2026

पत्रावली पेश हुई। तकील उभयपक्षों अप्रार्थी से 02 वातपूद तामील उपस्थित नहीं। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप आया अतः अप्रार्थी से 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी काली देवी द्वारा जयें तकील जवाब का 30 रर प्रार्थी पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी से 06 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी से 06 का जवाब वेद किया जाता है। तकील उभयपक्ष द्वारा प्रा-पत्र अस्थायी नि पर बहस की गयी। बहस पर मनन किया। प्रा-पत्र त 17 दवा पत्रावली का अवलोकन किया। मूल दावा तकरमा अस्थायी निषेधाज्ञा का है। मूल दावा के विहित निरंतर होने तक प्रकरण में अंतिम विवाद-प्रति-भूमि में अप्रार्थी द्वारा मजालमत वेदा करने के अंदेशों के मध्यनजर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कुन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने, प्रा-पत्र, जवाब पत्रावली व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23/07/2025 को तदुक्त मूलवाद (प्र.सं. 159/2025 काली देवी बनाम रघुनाथ मों) कुन्फर्म किया जाता है प्रकरण फैसल सुनार लेकर बाद तकील हमडिया मूलवाद रहे।

25/2/26  
जुए  
जुए  
जुए (पत्रा)